

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डी. शर्मा (नागौर)

वाड संख्या 05/2021 - आदेश :-

दिनांक 19/8/21

1. वाद पत्र पर सलंगन दस्तावेज का अवलोकन किया जिसके अनुसार पटवार मण्डल निम्नोद
 ने वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075-78 खाता सं. 345
 ख.न. 557 ग्राम में खातेदारान का नाम व हिस्सा रामेश्वरलाल पुत्र चोखाराम हि० 190/11813 रामेश्वरलाल पुत्र चोखाराम हि० 190/11813
कुन्दराम पुत्र लोभानाराय 250/11813 जाट श्रीरामलाल पुत्र भराराम हि० 10983 जाट 11813
मालशिर पुत्र शंकरशिर दरोगा सा देह जगदीश पसाद पुत्र रामदीन अजरा सा बास
बा. हि. व हि. 300/11813 जो दर्ज
 रिकार्ड हैं, के स्वाध. लिखनाराय पुत्र डूंगाराम 200/11813 बोगाराम पुत्र रावणाराम 400/11813
राजेन्द्र पुत्र रामपाल 400/11813 डूंगाराम पुत्र बाछराम 800/11813 जीवणाराम पुत्र
बाछराम 400/11813 मनोहरलाल पुत्र जेठलाल नर्स 200/11813 नुलखाराम पुत्र बाछराम 200/11813
हुक्काराम पुत्र पदमाराम 400/11813 जसेना बानो 600/11813 कुन्नी बानो 600/11813 मनवाराय
600/11813 कलवाराम पुत्र कलीलाल 400/11813 प्रमोद कुमार पुत्र रामाश्रित 400/11813 कलखंड
पुत्र सुरजमल 600/11813 हीरालाल पुत्र सुरजमल 400/11813 हुकनाराय पुत्र डूंगाराम 400/11813
नानी देवी पालि मदनलाल 200/11813 खिलराम पुत्र जेहराम जाट हि. 4083/11813 काठेह
 घोषित करने का वाद पत्र प्रस्तुत किया

2. भूमिधारी तहसीलदार डी. शर्मा द्वारा भी इस बाबत अनुशंग की हैं।

3. अतः उक्त वाद पत्र अनुसार निम्न खातेदारान रामेश्वरलाल पुत्र चोखाराम 200/11813 लोभानाराय
पुत्र कुन्दराम 190/11813 रामेश्वरलाल पुत्र चोखाराम 150/11813 कुन्दराम पुत्र लोभानाराय 250/11813 श्रीरामलाल पुत्र
भराराम 400/11813 मालशिर। शंकरशिर दरोगा जगदीश पुत्र रामदीन अजरा व हि. व 300/11813 लिखनाराय
पुत्र डूंगाराम 200/11813 बोगाराम पुत्र रावणाराम 400/11813 राजेन्द्र पुत्र रामपाल 400/11813 डूंगाराम पुत्र
बाछराम 800/11813 जीवणाराम पुत्र बाछराम 400/11813 मनोहरलाल/जठरलाल 200/11813 नुलखाराम/बाछराम
200/11813 हुक्काराम पुत्र पदमाराम 400/11813 जसेना बानो 600/11813 कुन्नी बानो 600/11813 मनवाराय
600/11813 कलवाराम पुत्र कलीलाल 400/11813 प्रमोद कुमार पुत्र रामाश्रित 400/11813 कलखंड पुत्र सुरजमल 600/11813
हीरालाल पुत्र सुरजमल 400/11813 हुकनाराय पुत्र डूंगाराम 400/11813 नानी देवी पालि मदनलाल 200/11813 काठेह
काठेह

4. उक्त हिस्सा/खातेदारी की घोषणा DILRMP प्रोग्राम के तहत हिस्सा मिलान न होने के कारण घोषित की जा रही है। नवीन तथ्य की जानकारी आने पर प्रभावित पक्षकार सुधार हेतु इस न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

5. जमाबंदी की कैफियत में इस आशय का अंकन किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल इफ्तर रहें। निर्णय आज दिनांक.....को सुनाया गया।

डी. शर्मा
उपखण्ड अधिकारी

